तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 17 / 2005 / अलवर** **हजारी बनाम सतीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री अयूब खान, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 8.1.2020**

हस्तगत् निगरानी अन्तर्गत धारा 84 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर की अपील संख्या 42/2001 बउनवानी भैरूसिंह बनाम सतीश में पारित निर्णय दिनांक 24–12–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं0 1 ने एक अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के आदेश दिनांक 23–5–1986 के विरूद्ध न्यायालय अति0 कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष विवादित आराजी खसरा नं0 1465 रकबा 16 बिस्वा जो कि ग्राम तिजारा में स्थित थी जिसका आवंटन कर, प्रार्थीगण के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त अपील को न्यायालय अति0 कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के द्वारा निर्णय दिनांक 31–3–2001 द्वारा विधि विरूद्ध तौर पर अप्रार्थी सं0 1 की अपील स्वीकार कर ली जिस आदेश के खिलाफ प्रार्थीगण ने अपील विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2004 के द्वारा अपील अस्वीकार कर दी जिस निर्णय दिनांक 24–12–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी/निगराकार द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालययों का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आक्षेपित आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एल0आर0 / 17 / 2005 / अलवर</u>** **हजारी बनाम सतीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निहित अधिकार क्षेत्र का उचित पालन नहीं किया है एवं अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं। विपक्षी सं0 1 प्रस्तुत प्रकरण में व्यथित पक्षकार नहीं था, ना ही वह व्यथित पक्षकार की हैसियत रखता था। प्रार्थीगण को हुए विधिवत् आवंटन को निरस्त कराने एवं आवंटन के विरूद्ध अपील करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक स्थिति पर भी गौर नहीं किया कि विपक्षी सं0 1 आवंटन में पक्षकार नहीं था। इस कारण से उसे प्रार्थीगण के पक्ष में हुए आवंटन के विरूद्ध अपील करने से पूर्व न्यायालय से धारा 96 जा0दी0 के तहत पूर्वनुमति लेनी चाहिए थी और उसी के बाद उसकी आवंटन के विरूद्ध अपील पोषणीय थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण को आवंटित आराजीयात धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में से नहीं है और ना थी। इसलिए यह आवंटन के काबिल थी। आवंटन अधिकारी के समक्ष यह तथ्य उपलब्ध था कि मौके पर रेकार्ड अनुसार भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में काम में नहीं आ रही थी, केवल राजस्व अभिलेखों में ही भूमि गै0मु0 रास्ता थी। प्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन 1986 का है जिसके विरूद्ध विपक्षी ने अपील सन् 2000 में 14 साल बाद मियाद बाहर पेश की थी। प्रार्थी को किया गया आवंटन विधिक प्रक्रिया अपना कर कीमतन आवंटन था और उस भूमि का किया गया जो प्रार्थी के खेतों से सटी एवं छोटी पट्टी की थी। विवादित आराजीयात में से प्रार्थीगण के खेतों का रास्ता है ना कि सार्वजनिक उपयोग का रास्ता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपने आपमें सैल्फ कोन्ट्राडिकरी है। एक ओर तो वह भूमि को कस्टोडियन की मान रहे हैं तथा दूसरी ओर उसे सिवायचक सरकारी भूमि मान रहे हैं। प्रार्थीगण आवंटन के समय से ही वादग्रस्त आराजीयात में काबिल काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अति0 कलक्टर, अलवर व अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावें।

5– विद्वान अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ता ने प्रार्थीगण/निगराकार की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय पारित किये गये हैं। इसलिए निगरानी काबिल खारिज योग्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 17 / 2005 / अलवर** **हजारी बनाम सतीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। साथ ही वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी/निगराकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उन्होंने अपने समर्थन में 2001 आर0आर0डी0 पेज 403 व 2013 आर0बी0जे0 पेज 309 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

6– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– विद्वान अति0 कलेक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 31.3.2001 में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी की किस्म गै0मु0 रास्ता है और इस तरह की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है चाहे वह सिवायचक हो या कस्टोडियन। अधीनस्थ अदालत की पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट की गई उसमें बाद में दूसरी स्याही से लिखा गया है कि उक्त रकबा प्रार्थी के खेत से मिला हुआ है मौके पर रास्ता नहीं है। खसरा नं0 1465 कस्टोडियन न होकर सिवायचक सरकारी भूमि है। लिहाजा वैसे भी इसको कस्टोडियन मानते हुए आराजी आवंटन नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट मंजूर की जाकर रेस्पो0 के पक्ष में जारी आवंटन आराजी 1465 रकबा 10 बिस्वा गै0मु0 रास्ता वाके तिजारा का आवंटन निरस्त किया जाता है।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2004 में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में जो विवेचना की गई है, वह उचित प्रतीत होती है।

9– पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नं0 1465 जमाबन्दी सम्वत् 2038 में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर ने कोई उज्रदारी नोटिस जारी नहीं किया। दिनांक 19–5–1986 को भूमि आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा 4 दिवस के भीतर ही दिनांक 23–5–1986 को भूमि आवंटित कर दी, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता।

10– विद्वान अति0 कलेक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा उचित रूप से भूमि आवंटन निरस्त किया गया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा विधिसम्मत यथावत रखा गया है। इसलिए निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एल0आर0 / 17 / 2005 / अलवर</u>** **हजारी बनाम सतीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10– अतः निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–12–2004 एवं विद्वान अति0 कलेक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2001 यथावत रखें जाते हैं। 11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	